

न्यायालय उपरान्त अधिकारी कोर्ट

जिला - वाराणसी
कोर्ट गौरी
वाराणसी
इशार गौरी वकील
दिनांक 10-6/10

20 सितंबर के कोर्ट रुकने ली जाती थी अर्थात्
पेशी पर उपरान्त नहीं करते पर प्रकृषा 0-9 R-5
शायद के तहत खामीज के डिमा जफ्तगी परावली
वास्ते देखने कायम मुकाम परावली पर हेतु डिमा
10-1-17 को पेश हो।

(Signature)

10-1-17 परावली पेश हुई। वकील वकील उपरान्त
आदेशिका डि० 3-11-16 की पालना में वकील
अधिवक्ता को आज्ञा पुनः सुचित कराया गया।
परावली खानिदुलार डि० 2-2-17 को पेश हो।

(Signature)

2-2-17 परावली पेश हुई। स्थानीय अधिवक्तागणों
द्वारा स्थानीय वकील की चर्चा प्रकाश जोर
के असमर्थिक निष्पत्ति होने से कार्य का लक्ष्य
कर रखा है। सिद्धांत परावली डि० 9-3-17
को पेश हो।

9-3-17 परावली पेश हुई। वकील वकील उपरान्त
प्रमाण विपरीत स० 8 के कायम मुकाम शरणपत्र
प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका डि० 13-8-10 से
निष्पत्ति है किन्तु वकील अधिवक्ता को बार बार
शरण कराये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा
इस विषय में कोई कृपा नहीं ली जाती है। जिससे
प्रमाण में एक ही स्टेज पर पेशियां लंबीस
हो रही हैं जिससे न्यायालय का समय व-अम
दोनों जाया होगा है। आज पुनः उनके इस प्रस्तुत
नहीं करने का कोई संतोष प्रद कारण अज्ञात नहीं
कराया है। अतः वकील का वादपत्र अन्तर्गत द्वारा

FORM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

बन्

दुकान या कारखाने की मय इनिशियलस

नम्बर व जारीक
अहकाम को इस
दुकान की सामग्री
में जारी हुवा

जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं।
पत्रावली नम्बर से इस की जाफर फाइल
सुमार है।

